



**PRESS  
NOTE**



## चांदपुर पुलिस द्वारा कस्बा चांदपुर के ढाली बाजार में कपडे की दुकान से नगदी चोरी करने वाले अभियुक्त को चोरी के 21850/- रुपये सहित किया गिरफ्तार

दिनांक 28/29.02.2023 की रात्रि में थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत ढाली बाजार में कपडे की दुकान में अज्ञात चोर द्वारा गल्ले में रखी हुई नगदी चोरी कर ली गई थी। जिस सम्बन्ध में वादी सौरभ जैन पुत्र ब्रजभूषण जैन की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 147/23 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा जनपद में चोरी/लूट आदि की घटनाओं पर रोकथाम व सफल अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी चांदपुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 12.03.2023 को मुकदमा उपरोक्त की विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रकाश में आए अभियुक्त अजीम पुत्र याकूब नि0 ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर को मुखबिर की सूचना पर रोडवेज बस स्टैन्ड के पास से 21850/- रुपये की नगदी सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि उसने ही दिनांक 28/02/2023 की रात्रि में ढाली बाजार में स्थित कपडे की दुकान से नगदी चोरी की थी। चोरी किए पैसे में से कुछ पैसे खर्च हो गए, बाकी शेष बरामद नगदी उसी चोरी की है।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गई है।

**नाम व पता अभियुक्त -** अजीम पुत्र याकूब नि0 ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर

**बरामदगी -** चोरी के 21850/- रुपये

**अभियुक्त अजीम उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0सं0 343/16 धारा 379/411 भा0द0वि0
2. मु0अ0सं0 401/16 धारा 379/429 भा0द0वि0
3. मु0अ0सं0 410/16 धारा 4/25 आर्मस एक्ट
4. मु0अ0सं0 513/22 धारा 269/270/429 भा0द0वि0
5. मु0अ0सं0 570/16 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट
6. मु0अ0सं0 623/22 धारा 4/25 आर्मस एक्ट
7. मु0अ0सं0 643/17 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0
8. मु0अ0सं0 647/19 धारा 4/25 आर्मस एक्ट
9. मु0अ0सं0 147/23 धारा 457/380/411 भादवि0



**पुलिस टीम का विवरण-**

निरीक्षक अपराध श्री राजेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री राजीव कुमार शर्मा, हे0कां0 अशोक कुमार, कां0 रजनीश

**थाना शेरकोट:-** आज दिनांक 12.03.2023 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 59/13 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त मंसब उर्फ बाबू पुत्र न्याज अली निवासी ग्राम हरेवली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।





बिजनौर पुलिस



नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

**थाना नूरपुर-** मा0मुख्यमंत्री उ0प्र0द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



**थाना नजीबाबाद** - मा0मुख्यमंत्री उ0प्र0द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहे मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में #MissionShakti कार्यक्रम के अन्तर्गत #BijnorPolice के समस्त थानों पर स्थापित #महिला हेल्प डेस्क पर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।

